

388

राजस्थान सरकार  
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर

दिनांक 1/6/2023

क्रमांक / राजस्व / 2023 /

--: रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

राजस्व (युप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प 3 (2) राज-6/2003 / पार्ल  
जयपुर, दिनांक 10.08.2016 की पालना में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की  
धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 60  
एवं 86 के अन्तर्गत ग्राम-----रेरा----- पटवार मण्डल -----रेरा-----  
भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर की भूमि खसरा  
नम्बर 150----- में स्थित रास्ते का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा  
सलग्न निर्णयानुसार रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की स्वीकृति प्रदान  
की जाती है।

शिविर प्रभारी अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
प्रशासन गाँव के सम अधिनियम 2023  
उपखण्ड श्रीमाधोपुर श्रीमाधोपुर  
पंचायत समिति- अजीतगढ़

दिनांक: 1/6/2023

क्रमांक / सम /

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर।
2. भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त .....
3. पटवारी हिल्का .....

शिविर प्रभारी अधिकारी  
प्रशासन गाँव के सम अधिनियम 2023  
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर  
पंचायत समिति- अजीतगढ़

